



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239453  
CG-DL-E-07102022-239453

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 2022/आश्विन 15, 1944

No. 259]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2022/ASVINA 15, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

मामला सं. ए डी (ओआई) -10/2022

**विषय :** चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

**फा. सं. 6/10/2022-डीजीटीआर.**—सेफ्टी/स्पेशलिटी ग्लास प्रोसेसर की एक एसोसिएशन दि फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास (एफओएसजी) (जिसे आगे 'आवेदक एसोसिएशन' भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिस आगे अधिनियम भी कहा गया है) समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार मैसर्स जीएससी ग्लास (पी) लिमिटेड और मैसर्स टीपीआरएस एंटरप्राइजेज (जिन्हें आगे 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश' देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" है। पीयूसी को टैम्पर्ड ग्लास या सेफ्टी ग्लास के तौर पर भी जाना जाता है। वर्तमान जांच घरेलू/गृह उपकरणों जैसे रेफ्रिजरेटर, कुक-टॉप, ओटीजी, माइक्रोवेव, एलईडी आदि जैसे में प्रयोग के प्रयोजनार्थ आयातित विचाराधीन उत्पाद तक सीमित है। ऑटोमोबाइल, वास्तुशिल्प आदि जैसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए आयातित टफएंड ग्लास पीयूसी के दायरे से बाहर है।
4. अपनी अंतरनिहित मजबूती, उच्च ऑप्टिकल स्पष्टता, असमतलता रहित समान सतह आदि के कारण इस उत्पाद का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों हेतु बढ़ रहा है। संबद्ध वस्तु का प्रयोग गैस चूल्हे, फ्रीज, घरेलू वाशिंग मशीन, लाइटिंग, फिक्सर, कुक-ऑप, ओवन, ग्रिल, चिमनी आदि जैसे विभिन्न उपकरणों के उत्पादन में होता है।
5. संबद्ध वस्तु के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है। पीयूसी का अध्याय 70 के अन्तर्गत आयातित किया गया है जो "ग्लास और ग्लासवेयर" से संबंधित है। आवेदक एसोसिएशन के अनुसार आठ अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 70071900 है। यद्यपि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न अन्य उपशीर्षों जैसे 70072100, 70072900, 70074900, 70079900, 70134900, 70139900, 70199090, 70200019, 70200029, 70200090 के अन्तर्गत पीयूसी का आयात किया जाता है। यह उपशीर्ष केवल सांकेतिक हैं और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि पीयूसी के आयात की सूचना विभिन्न अन्य उपशीर्षों के अन्तर्गत भी मिल सकती है।
6. जांच के लिए पक्षकार पीयूसी तथा पीसीएन के परिकलन के लिए उनके प्रस्ताव संबंधी कोई टिप्पणियां, यदि कोई हों, 20 अक्टूबर, 2022 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

**ख. समान वस्तु**

7. आवेदक एसोसिएशन ने दावा किया है कि भारत में कथित रूप से पाटित की गई संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के लिए 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

**ग. संबद्ध देश**

8. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

**घ. जांच की अवधि**

9. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022, और अप्रैल 2018 – मार्च 2019, अप्रैल 2019 – मार्च 2020, अप्रैल 2020 – मार्च 2021 और अप्रैल 2021 – मार्च 2022 (पीओआई) को क्षति जांच अवधि माना गया है।

**ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

10. यह आवेदन मैसर्स जीएससी ग्लास (पी) लिमिटेड और मैसर्स टीपीआरएस एंटरप्राइजेज की ओर से सेफ्टी/स्पेशलिटी ग्लास प्रोसेसर्स की एक एसोसिएशन फैडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास (एफओएसजी) द्वारा दायर किया गया है। यह आवेदन मैसर्स नन्दा ग्लास इंडस्ट्रीज और मैसर्स श्री अष्टविनायक ग्लास प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थन पत्र के माध्यम से समर्थित है। घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरा संबद्ध देश से कोई आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश से किसी उत्पादक और निर्यातक से संबंधित नहीं हैं। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का पात्र घरेलू उत्पादन की कुल उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और इसलिए उसके पास एडी नियमावली, 1995 के नियम 2 (ख) के अनुसार वर्तमान आवेदन दायर करने के लिए अपेक्षित स्थिति है।

**च. कथित पाटन का आधार****सामान्य मूल्य**

11. आवेदक एसोसिएशन ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) और एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जन.गण. के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन जन.गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जाए, यदि संबद्ध देश से प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाए कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित हैं और एडीडी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति देते हैं, ऐसा न होने पर संबद्ध देश से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
12. आवेदक एसोसिएशन ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़े या अन्य वैकल्पिक पद्धतियां इस स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। अतः सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ-मार्जिन को विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर परिकलित किया गया है। सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन को विधिवत रूप से जोड़ने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है।

**निर्यात कीमत**

13. संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात कीमत डीजी सिस्टम से प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। निर्यात कीमत को निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित खर्चों हेतु समायोजित किया गया है:

- क. मालभाड़ा
- ख. बीमा
- ग. एफओबी निर्यात कीमत
- घ. पत्तन व्यय
- ड. बैंक प्रभार
- च. अन्तरदेशीय मालभाड़ा व्यय; और
- छ. कमीशन

**पाटन मार्जिन**

14. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वारा स्तर पर की गई है, पृथमदृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

**छ. क्षति और कारणात्मक संबंध**

15. घरेलू उद्योग की क्षति के आकलन के लिए आवेदक एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक एसोसिएशन ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में उनकी दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी मात्रा के रूप में कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। यद्यपि घरेलू उद्योग की स्थिति से संबंधित एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (IV) में दिए गए कुछ मापदंडों में क्षति जांच अवधि के दौरान सकारात्मक रुझान दर्ज हुआ है, तथापि यह प्रथमदृष्टया सिद्ध हुआ है कि कथित पाटित आयातों के कारण लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबंध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।

**ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत**

16. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबंध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबंध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरूआत करते हैं।

**झ. प्रक्रिया**

17. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6 के अन्तर्गत यथावर्णित सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

**ञ. सूचना प्रस्तुत करना**

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों dd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in और adv12-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

19. संबंध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में संबंध देश के दूतावास के ज़रिए उसकी सरकार भारत में संबंध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातक और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस अधिसूचना के पैरा \_\_ में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर दें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित पद्धति और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी वर्तमान जांच से संगत अनुरोध इस जांच परिणाम अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

22. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की धिकारिक वैबसाइट अर्थात <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

**ट. समय-सीमा**

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पत्तों dd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in तथा adg13-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ उस तारीख के 30 दिनों के भीतर इमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए, जिस पर उसे एडी नियमावली के नियम 6(4) के

अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजा गया है या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया है, को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

25. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

#### घ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

28. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।

29. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ के अगोपनीय संस्करण को प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर गोपनीय रूप से दावा किए गए पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

30. गोपनीयता के दावे पर उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

#### ड. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

31. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर लोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें।

#### ढ. असहयोग

32. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2022

**Case No. AD(OI) – 10/2022**

**Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Toughened glass for home appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less” originating in or exported from China PR**

**F. No. 6/10/2022-DGTR.**—The Federation of Safety Glass (FOSG), an association of safety/speciality glass processors (hereinafter referred to as the ‘applicant association’) has filed an application before the Designated Authority, on behalf of M/s GSC Glass (P) Ltd. and M/s TPRS Enterprises (hereinafter referred to as the ‘domestic industry’), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the ‘Act’) as amended in 1995 and thereafter, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘AD Rules’), for the initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Toughened glass for home appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less” (hereinafter referred to as the ‘subject goods’ or ‘product under consideration’) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the ‘subject country’).

2. The applicant association has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports, originating on or exported from the subject country and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country.

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. The product under consideration is “toughened glass for home appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less” originating in or exported from China PR. The PUC is also known as tempered glass or safety glass. The present investigation is limited to the product under consideration imported for the purpose of use in home/household appliances such as refrigerator, cook-top, OTG, microwave, LED etc. Toughened glass imported for any other purpose such as automobiles, architecture etc. are excluded from the scope of the PUC.

4. Due to its inherent strength, high optical clarity, distortion free smooth surface etc., the application of the product has been increasing for different purposes. The subject goods are used for manufacturing various appliances such as gas stoves, refrigerators, domestic washing machines, lighting fixtures, cook-top, ovens, grills, chimneys etc.

5. The subject goods do not have a dedicated classification under Customs Tariff Act, 1975. The PUC is imported under Chapter 70 which pertains to “Glass and glassware”. As per the applicant association, the classification at 8-digit level is 70071900 even though the PUC is imported under various other sub-headings such as 70072100, 70072900, 70074900, 70079900, 70134900, 70139900, 70199090, 70200019, 70200029, 70200090 of the Customs Tariff Act, 1975. The subheading is indicative only and is not binding on the scope of the PUC since the imports of PUC may be reported under various other subheadings also.

6. The parties to the investigation may provide their comments on the PUC as well as their proposal for construction of PCNs, if any, by 20<sup>th</sup> October 2022.

**B. LIKE ARTICLE**

7. The applicant association has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject country. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The Authority notes

that the two are technically and commercially substitutable. Hence, for the purposes of the present investigation, the subject goods produced by the applicant is being treated by the Authority as 'like articles' to the subject goods being imported from the subject country.

### C. SUBJECT COUNTRY

8. The subject country in the present petition is China PR.

### D. PERIOD OF INVESTIGATION

9. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2021 to 31<sup>st</sup> March 2022, and the period from April 2018 – March 2019, April 2019 – March 2020, April 2020 – March 2021 and April 2021 – March 2022 (POI) as the injury investigation period.

### E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. The application has been filed by the Federation of Safety Glass (FOSG), an association of safety/speciality glass processors, on behalf of, M/s GSC Glass (P) Ltd. and M/s TPRS Enterprises. The application has been supported by M/s Nanda Glass Industries and M/s Shree Ashtavinayak Glass Private Limited by way of support letter. The domestic industry has not made any imports from the subject country during the POI and are not related to any producer/exporter from the subject country. It is further noted that the domestic industry accounts for a major share of the total production of the eligible domestic production and therefore, has the requisite standing to file the present application in terms of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995.

### F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

#### Normal value

11. The applicant association has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and para 7 of the Annexure-I to the AD Rules, 1995, the normal value of producers from China PR may be determined based on the cost or domestic selling price prevailing in China PR only if the responding producers from the subject country demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure I to the AD Rules, 1995, failing which, normal value for the producers from the subject country must be determined as per based on paras 7 and 8 of Annexure I to the AD Rules, 1995.

12. The applicant association has also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse other alternative methods is not available at this stage. The normal value has been, therefore, constructed based on the best estimates of the cost of the production of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin. The normal value has been computed based on the cost of production of the domestic industry after duly the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin.

#### Export Price

13. The export price of the subject goods has been computed based on the import data received from DG systems. The export price has been adjusted for the following expenses to arrive at net export price:

- a. Freight;
- b. Insurance;
- c. FOB export price;
- d. Port expenses;
- e. Bank charges;
- f. Inland freight expenses; and
- g. Commission.

#### Dumping Margin

14. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

## G. INJURY AND CAUSAL LINK

15. The information furnished by the applicant association regarding the domestic industry has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant association has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the alleged dumped imports in the form of increased volume of dumped imports in absolute as well as in relative terms in comparison to the production and consumption in India. Although, a few parameters enumerated in para (iv) of Annexure- II to the AD Rules, 1995, pertaining to the state of the domestic industry have registered a positive trend over the injury investigation period, it has been *prima facie* established that the profitability parameters have been adversely impacted because of the alleged dumped imports. Thus, there exists sufficient *prima facie* evidence that the domestic industry has suffered injury due to the alleged dumped imports from the subject country.

## H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

16. On the basis of a duly substantiated written application by the domestic industry, and having reached a satisfaction, based on the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry concerning the alleged dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country and the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

## I. PROCEDURE

17. The principles as stipulated under Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation.

## J. SUBMISSION OF INFORMATION

18. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email address [dd12-dgtr@gov.in](mailto:dd12-dgtr@gov.in) and [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) with a copy to [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in) and [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in). It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

19. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in para 23 of this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

20. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within time limit mentioned in this initiation notification.

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

22. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

## K. TIME LIMIT

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address [dd12-dgtr@gov.in](mailto:dd12-dgtr@gov.in) and [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) with a copy to [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in) and [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in) within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.



24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

25. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

#### **L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

26. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

27. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

28. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

29. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentially claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

#### **M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

31. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

#### **N. NON-COOPERATION**

32. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority